बिहार सरकार,

लघु जल संसाधन विभाग।

पत्रांक– ....   पटना, दिनांक.................

प्रेषक,

के0 के0 पाठक,
प्रधान सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
लघु सिंचाई प्रमंडल।

विषय– नलकूपों के सफल संचालन हेतु WhatsApp Group बनाने के सम्बन्ध में।

महाशय,

आप अवगत हैं कि जिलावार जब प्रत्येक जिले की जब समीक्षा की जाती है, तो इस बात को विशेष तौर से आपको कहा जाता है कि विद्युत अभियंताओं के साथ WhatsApp Group बनाना चाहिए, ताकि आप ट्यूबेल खराब होने पर विद्युत कम्पनी के संबंधित अभियंताओं को WhatsApp पर मैसेज दे सकें।

उक्त के आलोक में अनुरोध है कि आप दो WhatsApp Group बनायें, जो क्रमशः इस प्रकार होंगे–

(क) **आपका एवं विद्युत कम्पनी के अभियंताओं का WhatsApp Group-** इस WhatsApp Group में आप स्वंय को, सहायक अभियंताओं को और अपने कनीय अभियंताओं के साथ विद्युत कम्पनी के कार्यपालक अभियंता, सभी सहायक अभियंताओं, एवं सभी कनीय अभियंताओं का WhatsApp Group बनायें, ताकि नलकूप के विद्युत दोष को समय से दूर किया जा सके और विद्युत संबंधी शिकायतों का आदान–प्रदान आपलोगों के बीच हो सके। इसी Group में विद्युत कम्पनी के अभियंता पंचायतों को भेजे गए बिजली बिल भी आपको WhatsApp के माध्यम से Share करेंगे।

(ख) **आपका एवं मुखियाओं का WhatsApp Group** - इस WhatsApp Group में आप अपना एवं अपने सहायक अभियंता तथा अपने सभी कनीय अभियंताओं को अपने जिले के सभी मुखियाओं के साथ WhatsApp Group के माध्यम से बिजली के बिल का भुगतान और नलकूप के सम्बन्ध में शिकायतों का आदान–प्रदान करेंगें। इस WhatsApp Group के माध्यम से आप मुखियाओं को बिजली का बिल भेज सकते हैं और यह सुनिश्चित हो कि बिजली का बिल समय से भुगतान हो। इस WhatsApp Group के माध्यम से पटवन की मांग एवं पटवन की वसूली की भी समीक्षा प्रतिदिन आपके स्तर पर होनी चाहिए, जो कि एक महत्वपूर्ण विषय है। पटवन शुल्क की Demand और पटवन शुल्क की वसूली एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो कि इस WhatsApp Group के जरिए आप सफलता पूर्वक पूरा कर सकते हैं।

अतः अनुरोध है कि अगले एक सप्ताह के अन्दर आप 2 WhatsApp Group (समूह) बनाकर इस विभाग के कंट्रोल रूम के प्रभारी श्री संजय कुमार को सूचित करें।

विश्वासभाजन

ह0/

(के०के० पाठक)
प्रधान सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांकः– 1644(मो०) पटना, दिनांकः– 05/9/2019

प्रतिलिपिः– सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता लघु जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव